संख्या-72/2016/947/सैंतीस-2-2016-1(21)/12

प्रेषक,

दया शंकर सिंह,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

मुख्य पशुचिकित्साधिकारी,
(संलग्न विवरणानुसार)
पशुपालन विभाग, उत्तर प्रदेश।

पशुधन अनुभाग-2 लखनऊ :: दिनांक-24 मई, 2016

विषयः- **पशु स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार (जि.यो.) अन्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशक, रोग नियंत्रण एवं प्रक्षेत्र, पशुपालन विभाग, उ0प्र0 के पत्र सं0-19/सा0-1/एक्स-120(187)06(जि.यो.)/2016-17, दिनांक-12.04.2016 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 में अनुदान संख्या-15 के अधीन लेखाशीर्षक-2403-पशुपालन-आयोजनागत-101-पशु चिकित्सा सेवायें तथा पशु स्वास्थ्य-06-पशु स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार (जिला योजना) के अन्तर्गत निम्न मानक मदों में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष रू0-360.96 लाख (रूपये तीन करोड़ साठ लाख छियान्नवे हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति संलग्न जनपदवार विवरणानुसार श्री राज्यपाल अधोलिखित प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष प्रदान करते हैं:-

मानक मद	**स्वीकृत धनराशि (हजार में)**
01-वेतन	15360.00
03-मंहगाई भत्ता	19200.00
06-अन्य भत्ते	1536.00
योग-	**36096.00**

(रूपये तीन करोड़ साठ लाख छियान्नवे हजार मात्र)

1. चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 की जिला योजनाओं के लिये जनपदवार परिव्यय निर्धारित होने के उपरान्त जारी स्वीकृति को आवंटित परिव्यय में समायोजित कर लिया जायेगा और तदनुसार जिला योजना समिति का कार्योत्तर अनुमोदन भी प्राप्त कर लिया जायेगा।
2. स्वीकृत धनराशि का आहरण/व्यय करते समय वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2016/बी-1-746/दस-2016-231/2016, दिनांक-22.03.2016 में दिये गये निर्देशों तथा शासनादेश संख्या-बी-1-1195/दस-16/94, दिनांक-06.06.1994 द्वारा निर्गत आदेशों का कड़ाई के साथ अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
3. संबंधित मुख्य पशुचिकित्साधिकारी पशुओं को आवश्यक सुविधायें उपलब्ध कराने हेतु नियमानुसार धनराशि व्यय करते हुए तत्काल उपयोगिता प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।
4. स्वीकृत धनराशि का व्यय/उपयोग उसी प्रयोजन में किया जायेगा जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है। इससे इतर व्यय वित्तीय अनियमितता होगा, जिसका समस्त उत्तरदायित्व निदेशक, रोग नियंत्रण एवं प्रक्षेत्र, पशुपालन विभाग/संबंधित मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी का होगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

5. किसी भी दशा में स्वीकृत धनराशि का आहरण कर बैंक/डाकघर में न जमा किया जाय तथा इससे व्यय नई मदों में न किया जाय। जहां तक सम्भव हो व्यय की फेजिंग वित्तीय वर्ष की शेष अवधि के लिये प्रतिमाह समान रूप से की जाय तथा आहरण एवं वितरण अधिकारियों द्वारा कोषागार से धनराशि का आहरण तत्काल आवश्यकता होने पर ही किया जाय।
6. यह भी स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का आवंटन मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है। जिन मामलों में उ0प्र0 बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संग्रहों तथा स्थायी आदेशों के अन्तर्गत शासकीय अथवा अन्य सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।
7. वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता संबंधी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित करने के साथ-साथ राजकीय धन व्यय करने में उ0प्र0 बजट मैनुअल के प्रस्तर-12 में दी गई शर्तों की पूर्ति तथा वित्तीय औचित्य के मानकों का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाय।

2- उक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 में अनुदान संख्या-15 के अधीन लेखाशीर्षक-2403-पशुपालन-आयोजनागत-101-पशु चिकित्सा सेवायें तथा पशु स्वास्थ्य-06-पशु स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार (जिला योजना) की सुसंगत इकाईयों के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2016/बी-1-746/दस-2016-231/2016, दिनांक-22.03.2016 में प्रदत्त अधिकारों के अधीन जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नक - यथोक्त।

भवदीय,

(दया शंकर सिंह)
संयुक्त सचिव।

पृ0सं0-72/2016/947(1)/सैंतीस-2-2016- तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)/(लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2. निदेशक, रोग नियंत्रण एवं प्रक्षेत्र, पशुपालन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
3. वित्त नियंत्रक/संयुक्त निदेशक (नियोजन), पशुपालन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
4. सम्बन्धित मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी/जिलाधिकारी।
5. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनु0-2/वित्त (आय-व्ययक) अनु0-1/नियोजन अनु0-3 ।
6. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(रणविजय सिंह)
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

शासनादेश संख्या-72/2016/947/सैंतीस-2-2016-1(21)/12, दिनांक-24 मई, 2016 का संलग्नक:-

पशु स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार (जिला योजना) (वर्ष 2016-17) (धनराशि हजार में)

क्र0 सं0	जनपद का नाम	01-वेतन	03-मंहगाई भत्ता	06-अन्य भत्ते	योग
1	2	3	4	5	6
1	मेरठ	240	300	24	**564**
2	गौतमबुद्धनगर	120	150	12	**282**
3	बुलन्दशहर	480	600	48	**1128**
4	मुजफ्फरनगर	120	150	12	**282**
5	मैनपुरी	1440	1800	144	**3384**
6	फिरोजाबाद	120	150	12	**282**
7	अलीगढ़	600	750	60	**1410**
8	महामायानगर	840	1050	84	**1974**
9	एटा	2400	3000	240	**5640**
10	कांशीराम नगर	480	600	48	**1128**
11	मुरादाबाद	120	150	12	**282**
12	अमरोहा	120	150	12	**282**
13	बरेली	240	300	24	**564**
14	शाहजहांपुर	120	150	12	**282**
15	झांसी	120	150	12	**282**
16	चित्रकूट	240	300	24	**564**
17	हमीरपुर	120	150	12	**282**
18	महोबा	720	900	72	**1692**
19	कानपुर देहात	360	450	36	**846**
20	फर्रूखाबाद	840	1050	84	**1974**
21	कन्नौज	120	150	12	**282**
22	औरैया	480	600	48	**1128**
23	लखनऊ	120	150	12	**282**
24	हरदोई	840	1050	84	**1974**

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

25	उन्नाव	600	750	60	**1410**
26	रायबरेली	360	450	36	**846**
27	इलाहाबाद	120	150	12	**282**
28	फतेहपुर	240	300	24	**564**
29	वाराणसी	120	150	12	**282**
30	गाजीपुर	960	1200	96	**2256**
31	जौनपुर	120	150	12	**282**
32	चन्दौली	120	150	12	**282**
33	मिर्जापुर	240	300	24	**564**
34	सोनभद्र	120	150	12	**282**
35	संत रविदास नगर	240	300	24	**564**
36	सुल्तानपुर	240	300	24	**564**
37	गोरखपुर	240	300	24	**564**
38	बलिया	120	150	12	**282**
39	बस्ती	120	150	12	**282**
योग-		**15360**	**19200**	**1536**	**36096**

(रूपये तीन करोड़ साठ लाख छियान्नवे हजार मात्र)

(रणविजय सिंह)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।